



प्रधान आयुक्त का कार्यालय, सीमा शुल्क, अहमदाबाद

"सीमा शुल्क भवन", पहली मंजिल, पुराने हाई कोर्ट के सामने, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009.

Tel.: (079)27544630

Fax: (079)27542343

Email: customsoa@gmail.com

PREAMBLE

DIN-20211171MN00007227AB

A	फाइलसंख्या / File No.	:	F. No. VIII/10-127/ICD Khodiyar/O&A/HQ/2020-21
B	कारण बताओ नोटिस संख्या – तारीख / Show Cause Notice No. and Date	:	F. No. VIII/10-127/ICD Khodiyar/O&A/ 2020-21 dt. 02.12.2020
C	मूल आदेश संख्या / Order-In-Original No.	:	73/ADC/PMR/O&A/2021-22
D	आदेश तिथि / Date of Order-In-Original	:	09.11.2021
E	जारी करने की तारीख / Date of Issue	:	09.11.2021
F	द्वारा पारित / Passed By	:	Padala Mohan Rao, Additional Commissioner, Customs, Ahmedabad.
G	आयातक का नाम और पता / Name and Address of Importer / Noticee	:	M/s. Yash Marine Suppliers, Bhavnagar & 3 others
(1)	यह प्रति व्यक्ति के उपयोग के लिए निः शुल्क प्रदान किया जाता है जिन्हें यह जारी किया जाता है।		
(2)	कोई भी व्यक्ति इस आदेश से स्वयं को असंतुष्ट पाता है तो वह इस आदेश के विरुद्ध अपील इस आदेश की प्राप्ति की तारीख के 60 दिनों के भीतर आयुक्त का कार्यालय, सीमा शुल्क (अपील), 7 वीं मंजिल, मृदुल टॉवर, टाइम्स ऑफ इंडिया, आश्रम रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद -380009 में कर सकता है।		
(3)	अपील के साथ केवल पाँच रुपये (5.00 रुपये) के न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए, और इसके साथ होना चाहिए :		
(i)	अपील की एक प्रति और		
(ii)	इस प्रति या इस आदेश की कोई प्रति के साथ केवल पाँच रुपये (5.00 रुपये) के न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।		
(4)	इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के इच्छुक व्यक्ति को 7.5% (अधिकतम 10 करोड़ रुपये) शुल्क जमा करना होगा, जहां शुल्क या ड्यूटी और जुर्माना विवाद में हैं, या जुर्माना, जहां इस तरह की दंड विवाद में है और अपील के साथ इस तरह के भुगतान का प्रमाण पेश करने में असफल रहने पर, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए अपील को खारिज कर दिया जाएगा।		